ग्राम पंचायत सरी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.15 से 31.03.18

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सरी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति अंजु देवी	01.04.15 से 22.01.16
2	श्री सुधीर राणा	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुमन कुमार	01.04.15 से 12.08.15
2	श्री बिट्टू राम	13.08.15 से 16.09.16
3	श्री ध्यान सिंह	17.09.16 से 31.03.18

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सरी, विकास खण्ड लम्बागाँव के लेखाओं अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.03
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.64
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	13.40
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय	1.25
5	8	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	3.75
6	9	सोलर लाइटों के क्रय में अधिक भुगतान	0.60
7	11	निर्माण कार्यों में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करना	0.78
8	12	13वें वित्त आयोग के कार्यों पर अनियमित व्यय	2.72

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सरी , विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी एवं श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.05.18 से 07.05.18 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	12/2015	09/2015
2016-17	08/2016	08/2016
2017-18	03/2018	06/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर

होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सरी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2015 से 3/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126 दिनांक 07.05.18 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 648135 (KCCB) दिनांक 15.05.18 ₹7200 निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत सरी , द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत सरी, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	169592	80124	249716	82918	166798
2016-17	166798	34219	201017	53221	147796
2017-18	147796	75296	223092	7652	215440

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत सरी, के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2015-16	385410	830903	1216313	1018008	198305
2016-17	198305	698268	896573	476946	419627
2017-18	419627	2848192	3267819	1927950	1339869

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹215440/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1339869/-

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.18 को अन्तिम शेष : ₹1555309/-

दिनांक 31.03.18 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹ 1601673.07/-

दिनांक 31.03.18 को हस्तगत राशि : ₹ 446/-

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, 13th FC, SFC, KCCB- 2019005158	429444.22
VKVNY,MP LAD,SD, HGB-88110100014617	1168951.85
IAY, HGB-88110100020858	2433.00
AAY, HGB-88110100021051	844.00
कुल राशि	**1601673.07**

Bank Reconciliation Statement

Particulars	Debit	Credit
Balance a per Cash Book as on 31.03.18	1555309	-
Cheque issued but not cleared up to 31.03.18	49536	-
Ch. No 312067 Dated 26.03.18, ₹ 26766/-(14TH FC)		
Ch. No 312068 Dated 26.03.18, ₹ 13702/-(14TH FC)		
Ch. No 312072 Dated 26.03.18, ₹ 9068/-(14TH FC)		
Cash in Hand (Own Source)	-	446
Balance as per Pass Book	-	1601673
Difference	-	2726
Total	**1604845**	**1604845**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.03 लाख का अन्तरः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़

बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.18 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹2726 का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 125 दिनांक 07.05.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था , जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 07.05.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर की राशि ₹2726 बारे जांच उपरान्त अवगत करवा दिया जायेगा । अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 जांच में पाया कि पंचायत की रोकड़ बहियाँ दिनांक 31.03.18 को पंचायत सचिव एवं पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसे शीघ्र सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

4.3 सचिव तथा प्रधान द्वारा अपने नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करना :-

सामान्य रोकड़ बही तथा बैंक पास बुकों की जांच करने पर पाया गया कि अधिकतर मामलों में सचिव तथा प्रधान द्वारा पंचायत की राशि अपने नाम से चैक द्वारा आहरित करके विभिन्न फर्मों एवं मजदूरों को भुगतान की गई थी जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार अनुचित है क्योंकि उक्त नियमानुसार ₹1000 से अधिक का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है । अतः सचिव तथा प्रधान के नाम से चैक द्वारा राशि आहरित करने के मामलों बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकार के आहरण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए क्योंकि इस प्रकार के आहरण से राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । आहरित राशि के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :-

खाता संख्या	चैक संख्या / दिनांक	प्रधान/सचिव का नाम	आहरित राशि (₹)
GEN-A, 13th FC, SFC, KCCB- 2019005158	782491/ 13.08.2015	श्री राज कुमार (उप-प्रधान)	132000.00
-do-	782492/ 21.08.2015	श्री बिट्टू राम (सचिव)	6300.00
-do-	782496/ 24.09.2015	श्री राज कुमार (उप-प्रधान)	91600.00

-do-	782497/ 03.10.2015	श्री बिट्टू राम (सचिव)	43700.00

4.4 जांच में पाया कि पंचायत में स्व-स्त्रौत, 13वें तथा 14वें वित्त आयोग एवं SFC VKVNY संबन्धित आय व्यय का रख-रखाव एक ही बैंक खाते में रखा गया था जबकि पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 के अनुसार पंचायत की प्रत्येक योजना के आय-व्यय का रख-रखाव अलग-2 बैंक खाते में रखा जाना अपेक्षित था । अतः उक्त पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार बैंक खाते न खोलने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमानुसार अलग -2 योजना हेतु पृथक बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.64 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.18 को गृहकर के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹63500 की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें ।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	0	10810	10810	10810	0
2016-17	0	31800	31800	100	31700
2017-18	31700	31800	63500	0	63500

2. भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2015-16 से 2017-18 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

6 अनुदान ₹13.40 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.18 तक अनुदान ₹1339869 उपयोग हेतु शेष थी।

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.25 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹125058 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8 ₹3.75 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण सम्बन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹375293/- की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 सोलर लाईटों की खरीद में ₹0.60 लाख का अधिक भुगतानः–

14वें वित्त आयोग के चयनित माह के निम्नलिखित वाउचरों की जांच में पाया कि पंचायत द्वारा मैसर्ज राज इलैक्ट्रिकल से 12 सोलर लाइटों का क्रय न्यूनतम निविदा के आधार पर ₹20330 प्रति सोलर लाइट पर किया गया था, जबकि हिम ऊर्जा द्वारा पत्र संख्या HIMURJA/KGR/DMA/SPV-VIII/2016/557 दिनांक 16.02.17 द्वारा सोलर लाइट की दर ₹15356 प्रति सोलर लाइट निर्धारित की गई थी। अतः चयनित माहों में ₹4974 प्रति सोलर लाइट की दर से कुल ₹59688 का अधिक भुगतान करके आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है एवं सोलर लाइट के क्रय हेतु हिमु ऊर्जा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया था। अतः विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना अधिक दरों पर क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि ₹59688 की वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ। क्रय का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	14 दिनांक 18.06.17	Bill No. 049 Dated 08.06.17, M/s Mandav Akshay Urja Shop	12 सोलर लाइट	243960

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है।इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार बही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से

नियमित करवाया जाए एवं व्यय से संबन्धित माप पुस्तिका सहित अन्य बांछित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये। कार्य में व्यय राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	निधि का नाम
1.	नि. रास्ता कवीर पंथी, हलोन कलाँ	14th FC
2.	नि. रास्ता फतेह सिंह के घर के साथ	14th FC
3.	मु. पंचायत घर	14th FC

11 **निर्माण कार्यों में स्वीकृत राशि से ₹0.78 लाख का अधिक व्यय:–**

जांच में पाया कि निम्नलिखित **निर्माण** कार्यों में स्वीकृत राशि से ₹77500 अधिक खर्च कर दी गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत /प्राप्त राशि	व्यय राशि	अधिक व्यय
1	नि. पक्का रास्ता एवं डंगा गाँव सरी से चकली (VKVNY)	30000/-	50000/-	20000/-
2	नि. पक्का रास्ता पंचम केआरआर दुकान से शिव मंदिर तक गाँव हलोन कलाँ (13 th FC)	60000/-	80000/-	20000/-
3	नि. आँगन बाड़ी शौचालय (TSC)	2500/-	10000/-	7500/-
4	नि. खेल का मैदान पलेटा मद (MPLAD)	170000/-	200000/-	30000/-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 125 दिनांक 07.05.18 द्वारा उक्त अधिक व्यय राशि बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था , जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 07.05.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक व्यय राशि की वसूली हेतु प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 26.03.18 द्वारा विकास खण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत अधिकारी को सूचित किया गया है । अतः उक्त राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार के व्यय करने से परिहार किया जाये ।

12 **13वें वित्त आयोग के कार्यों पर ₹2.72 लाख का अनियमित व्यय :-**

वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरणानुसार 13वें वित्त आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु ₹272347 का व्यय किया गया था लेकिन जांच में पाया कि इन

कार्यों के निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं राशि प्राप्त नहीं की गई थी एवं न ही हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए गये थे एवं न ही माप पुस्तिका में परिमाप की प्रविष्टियाँ की गईं थी। 13वें वित्त आयोग तथा स्व-स्त्रौत की राशि का रख-रखाब एक ही बैंक खाता संख्या 2019005158 (KCCB) में होने के कारण उक्त राशि का भुगतान स्व -स्त्रौत में जमा राशि से कर दिया गया था, जोकि अनियमित था।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	व्यय राशि
1	नि. रास्ता अमर सिंह के घर से झौफीं राम के घर तक	Vr. No. 51 Dated 13.08.15, ₹ 18825/- Vr. No. 52 Dated 13.08.15, ₹ 3000/- Vr. No. 53 Dated 13.08.15, ₹ 35730/- Vr. No. 54 Dated 13.08.15, ₹ 32943/- Vr. No. 74 Dated 01.10.15, ₹ 5000/- Vr. No. 75 Dated 01.10.15, ₹ 4750/- Vr. No. 76 Dated 09.10.15, ₹ 2500/-	102748/-
2	नि. रास्ता कबीर पंथी से हलोन कलाँ तक	Vr. No. 55 Dated 13.08.15, ₹ 18825/- Vr. No. 56 Dated 13.08.15, ₹ 3000/- Vr. No. 57 Dated 13.08.15, ₹ 19480/- Vr. No. 62 Dated 24.09.15, ₹ 12500/- Vr. No. 63 Dated 24.09.15, ₹ 42142/- Vr. No. 68 Dated 24.09.15, ₹ 6848/- Vr. No. 70 Dated 24.09.15, ₹ 29984/-	132779/-
3	नि. रास्ता फतेह सिंह के घर के साथ	Vr. No. 64 Dated 24.09.15, ₹ 6275/- Vr. No. 64 (i) Dated 24.09.15, ₹ 675/- Vr. No. 66 Dated 24.09.15, ₹ 9755/- Vr. No. 67 Dated 24.09.15, ₹ 13267/- Vr. No. 68 Dated 24.09.15, ₹ 6848/-	36820/-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 125 दिनांक 07.05.18 द्वारा उक्त अनियमित व्यय बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शुन्य दिनांक 07.05.18 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त प्रकरण की छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जायेगा। अतः शीघ्र अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं भविष्य में इस प्रकार के अनियमित व्यय करने से परिहार किया जाये।

13 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक , सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था । इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा । इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर ।
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।
5. मनरेगा का सीमेंट भण्डार रजिस्टर तैयार न करना ।
6. बही खाते तैयार न करना ।
7. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना ।

15 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत

द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

16 **मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :-**

पंचायत द्वारा लाखों रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गए तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया था परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था । अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करें ।

17 **लघु आपति विवरणिका :-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

18 **निष्कर्ष :-**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)211/2018 खण्ड–1–6102–6105 दिनांक–14.09.18
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत सरी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

फोन नं0 0177–2620881